

संचालनालय आयुष, म०प्र०

(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.mp.gov.in/dismh
E-mail:mp_dismh@yahoo.com

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

क्रमांक/एफ- 14660 /2016/4-आयुष शिक्षा, भोपाल, दिनांक: 24/12/2016
प्रति,

वरिष्ठ बिजनेस एनालिस्ट
एम०पी० आनलाईन,
द्वितीय तल, निरुपम शार्पिंग माल,
अहमदपुर होशंगाबाद रोड भोपाल

विषय:- मान० उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अनंतिम आदेश के पालन में पंचम चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित करने बाबत।

---00---

मान० उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अनंतिम आदेशों के क्रम में निम्नलिखित संस्थाओं को एम०पी० आनलाईन के माध्यम से सम्पन्न होने वाली पंचम चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित करने की अनुमति मान० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन दी जा रही है:-

स०क०	महाविद्यालय का नाम	मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक जिसमें अंतरिम आदेश जारी किया गया है
1	नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	याचिका क्रमांक-19607/2016
2	हेनीमन होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	याचिका क्रमांक-20005/2016
3	एल०बी०एस० होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	याचिका क्रमांक-20004/2016
4	स्वामी प्रणवानंद होम्योपैथी महाविद्यालय छतरपुर	याचिका क्रमांक-19211/2016
5	महात्मा गाँधी होम्योपैथी महाविद्यालय जबलपुर	याचिका क्रमांक-19655/2016

अतः उक्त संस्थाओं को पंचम चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित करावे। साथ ही उक्त संस्थाओं के संबंध में च्वाइस फिलिंग करने वाले व अलॉटेड अभ्यर्थियों को भी इस संबंध में साईट पर ही सूचना प्रदर्शित करे कि उक्त संस्थाओं को अभी भारत शासन आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उक्त संस्थाओं में प्रवेश मान० उच्च न्यायालय जबलपुर के अनंतिम आदेश के तारतम्य में दी जा रही है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य किये जावेंगे। मान० न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह संस्था प्रबंधन एवं उसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मान्य होगा। इस हेतु प्रदर्शित किये जाने वाली सूचना की प्रति भी संलग्न प्रेषित है, जिसे अनिवार्य रूप से पोर्टल पर प्रदर्शित करावे।

संलग्न:- यथोपरि।

(डॉ० सतीश चंद्र शर्मा)
प्र०संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म०प्र०

संचालनालय आयुष, म०प्र०
(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.mp.gov.in/dismh
E-mail:mp_dismh@yahoo.com

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225


कमांक/एफ- 14660 /2016/4-आयुष शिक्षा(न्या.प्र.) भोपाल,दिनांक-24/12/2016

-:सूचना:-

मान० उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अनंतिम आदेशों के क्रम में निम्नलिखित संस्थाओं को एम०पी० आनलाईन के माध्यम से सम्पन्न होने वाली पंचम चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित करने की अनुमति मान० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन दी जा रही है:-

स०क०	महाविद्यालय का नाम	मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कमांक जिसमें अंतरिम आदेश जारी किया गया है
1	नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	याचिका कमांक-19607/2016
2	हेनीमन होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	याचिका कमांक-20005/2016
3	एल०बी०एस० होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	याचिका कमांक-20004/2016
4	स्वामी प्रणवानंद होम्योपैथी महाविद्यालय छतरपुर	याचिका कमांक-19211/2016
5	महात्मा गाँधी होम्योपैथी महाविद्यालय जबलपुर	याचिका कमांक-19655/2016

अतः उक्त संस्थाओं को अभी भारत शासन आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उक्त संस्था में प्रवेश की अनुमति मान० उच्च न्यायालय जबलपुर के अनंतिम आदेश के तारतम्य में दी जा रही है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य किये जावेंगे। मान० न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह संस्था प्रबंधन एवं उसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मान्य होगा।


(डॉ० सतीश शर्मा)
प्र०संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म०प्र०